सराहनीय कार्य

कानपुर देहात पुलिस

#GOOD WORK **प्रेस नोट** **दिनांक 20.08.2026**

चोरी/छिनैती/धोखाधड़ी/टप्पेबाजी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार ।

अभियुक्तों के कब्जे से पीली धातु, सफेद धातु के आभूषण/टुकड़े, 11,000 रुपये नगद, अवैध असलहा-कारतूस व 02 मोटरसाइकिल बरामद ।

अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में कानपुर देहात के थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध/आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी/लूट/छिनैती/टप्पेबाजी की घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कानपुर देहात के मार्गदर्शन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय रसूलाबाद के पर्यवेक्षण में, दिनांक 16.08.2026 व दिनांक 18.08.2026 को थाना रसूलाबाद क्षेत्र के ग्राम रामपुर व अंगदपुर मोड़ शिवली रोड पर दंपत्ति को झांसे में लेकर धमकाकर जेबरात व पैसे लेकर भाग जाने की घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-313/26 धारा 308(5) बीएनएस व मु0अ0सं0 315/2026 धारा 308(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में दिनांक 20.08.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियोगों की घटना से सम्बन्धित दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर 03 व्यक्ति नारखास से रसूलाबाद की तरफ आ रहे हैं। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा रामपुर से नारखास जाने वाली रोड पर चेकिंग के दौरान सामने से दो मोटरसाइकिल पर सवार 03 व्यक्ति बडी तेजी से आते हुए दिखाई दिये । पुलिस टीम द्वारा उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो पुलिस टीम को देखकर अचानक दोनों मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्तियों में से 02 व्यक्तियों ने पुलिस टीम जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर दिया तथा भागने का प्रयास करने लगे। उक्त व्यक्तियों द्वारा दोबारा फायर करने के उद्देश्य से तमंचा लोड करते समय कारतूस नाल में फँस जाने के कारण पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये दो अभियुक्तों को पकड लिया गया तथा तीसरा व्यक्ति भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर भाग गया। पकडे गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम शाहरूख पुत्र छोटे अली निवासी नौरंगाबाद, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात, उम्र करीब 30 वर्ष बताया, जिसकी जामा तलाशी से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोका कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस एवं 01 बाला (पीली धातु), 01 बाली (पीली धातु), जंजीर का 01 टुकड़ा (पीली धातु) व 5,000/- रुपये नगद बरामद हुए तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम शमीर पुत्र रवि निवासी जल्लापुर सिंकंदरा, थाना राजपुर, जनपद कानपुर देहात, उम्र करीब 21 वर्ष बताया, जिसकी जामा तलाशी से दाहिने हाथ में 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोका कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस एवं 03 बाला (पीली धातु), जंजीर का 01 टुकड़ा (पीली धातु), एक जोड़ी तोड़िया (सफेद धातु), 6,000/- रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल सुपर स्पलेन्डर ब्लेक रंग तथा अपाचे बिना नम्बर प्लेट के बरामद हुयी। मोटरसाइकिल पर टंगी पन्नी से 02 माला (01 सफेद रंग व 01 खाकी रंग), पर्स के अन्दर रखे पीले रंग का गले में पहनने वाला लॉकेट, पंजा व चांदनुमा (पीली धातु), 08 चूड़ीनुमा आभूषण व मोर पंख का बनाया हुआ 01 झाड़ू बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्तियों ने भागे हुए व्यक्ति का नाम हुसैन पुत्र विद्धन निवासी बैंदा, थाना घाटमपुर, जनपद कानपुर नगर बताया। अभियुक्तों से बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 316/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त दौराने पूछताछ थाना मंगलपुर में व थाना सिकन्दरा जनपद

कानपुर देहात व थाना अछल्दा जनपद औरैया में कारित लूट व छिनैती की घटनाओं से सम्बन्धित माल व नगदी बरामद की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. शाहरूख पुत्र छोटे अली निवासी नौरंगाबाद, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 30 वर्ष
2. शमीर पुत्र रवि निवासी जल्लापुर सिकंदरा, थाना राजपुर, जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 21 वर्ष

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि वे अपने साथी हुसैन पुत्र विद्धन निवासी बैदा, थाना घाटमपुर, जनपद कानपुर नगर साथ मिलकर सिद्ध बाबा बनकर व्यक्तियों को झांसे में लेते थे। हुसैन आगे-आगे चलता था तथा दोनों साथी पीछे रहकर लोगों को बाबा के सिद्ध होने एवं हरिद्वार से आने की बात कहकर विश्वास में लेते थे। इसके बाद अनहोनी का भय दिखाकर महिलाओं से जेवरात एवं नकदी ठग लेते थे। अभियुक्तों ने दिनांक 12.08.2026 को मुजफ्फरपुर, थाना मंगलपुर में, दिनांक 18.08.2026 को आराजी अड्डा, थाना मंगलपुर में, रामपुर गांव बम्बा के पास, थाना रसूलाबाद क्षेत्र में पैदल जा रही एक महिला एवं एक लड़की को झांसे में लेकर अनहोनी का भय दिखाकर धमकाते हुए हम तीनों ने महिला से पीली धातु के एक जोड़ी बाले एवं ₹4,500/- रुपये लेकर फरार हो गये थे तथा दिनांक 16.08.2026 को जिंदानिवादा बस स्टॉप, शिवली कानपुर रोड़ थाना रसूलाबाद में दो महिलाओं से एक जोड़ी बाला, गले की माला, 01 मोबाइल वीवो तथा 2,500 रुपये ठगना स्वीकार किया एवं मोबाइल को तोडकर रास्ते में फेंक दिया था। दिनांक 06.07.2026 को ग्राम बक्सीडेरा, थाना सिकन्दरा में महिला से झुमके व मंगलसूत्र छीने थे, जिनको राह चलते व्यक्ति को बेच दिया था जिसमें हम तीनों ने बंटवारा कर लिया था, जिससे 4,000-4,000/- रुपये हम दोनों को हिस्से में मिले थे, शेष पैसे हुसैन ने ले लिये थे तथा दिनांक 28.07.2026 को कस्बा अछल्दा, जनपद औरैया में महिला से पीली धातु की चेन ठगने की घटना भी स्वीकार की, जिसको हम लोगों ने आधी-आधी आपस में बांट ली थी तथा यह भी बताया कि हुसैन के हिस्से के जेवरात व रुपये उसी के पास है। उक्त जेवरात को बेचने हेतु हम लोग ग्राहक की तलाश कर रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

अभियुक्त शाहरूख उपरोक्त से बरामदगी का विवरण-

1. 01 तमन्चा 315 बोर तथा 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर
2. 01 बाला पीली धातु
3. 01 बाली पीली धातु
4. 01 चैन का टुकड़ा पीली धातु
5. 5000/- रुपये नगद
6. घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल अपाचे बिना नम्बर प्लेट

अभियुक्त शमीर उपरोक्त से बरामदगी का विवरण-

1. 01 तमन्चा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर
2. 03 बाला पीली धातु
3. 01 चैन का टुकड़ा पीली धातु
4. 01 जोड़ी तोड़िया सफेद धातु
5. 6,000/- रुपये नगद
6. घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल यू0पी0 77 एबी 2071 सुपर स्पलेन्डर ब्लेक रंग

अभियुक्त शाहरूख उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 1068/2017 धारा 392/411 भादवि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0 1145/2017 धारा 392/411 भादवि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात
3. मु0अ0सं0 1164/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात
4. मु0अ0सं0 161/2025 धारा 109 बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात

5. मु0अ0सं0 70/2025 धारा 314 बीएनएस थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात
6. मु0अ0सं0 0316/2026 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात।
7. मु0अ0सं0 313/2026 धारा 308(5) बीएनएस थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात
8. मु0अ0सं0 315/2026 धारा 308(2) बीएनएस थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात
9. मु0अ0सं0 249/2026 धारा 308(2) बीएनएस थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
10. मु0अ0सं0 250/2026 धारा 308(2) बीएनएस थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
11. मु0अ0सं0 124/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात
12. मु0अ0सं0 143/2026 धारा 303(2)/318(4) बीएनएस थाना अछल्दा जनपद औरैया

अभियुक्त शमीर उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0316/2026 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना रसूलाबाद, कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 313/2026 धारा 308(5) बीएनएस थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात
3. मु0अ0सं0 315/2026 धारा 308(2) बीएनएस थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात
4. मु0अ0सं0 249/2026 धारा 308(2) बीएनएस थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
5. मु0अ0सं0 250/2026 धारा 308(2) बीएनएस थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
6. मु0अ0सं0 124/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात
7. मु0अ0सं0 143/2026 धारा 303(2)/318(4) बीएनएस थाना अछल्दा जनपद औरैया

गिरफ्तार करने वाली थाना रसूलाबाद पुलिस टीम -

1. प्र0नि0 श्री शिवनरायन सिंह
2. निरीक्षक अपराध श्री राजपाल सिंह
3. व0उ0नि0 श्री राम सिंह
4. उ0नि0 श्री रामकृष्ण मिश्र
5. हे0का0 78 कुलदीप सिंह
6. का0 227 अजयपाल
7. का0 236 विनोद पुरी
8. रि0का0 544 विजय